

(vii) ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपर्युक्त योग्यता नहीं होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।

7. यूपीटीईटी० की संरचना व विषय वस्तु:-

7.1 यूपीटीईटी० में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ चार विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) नहीं होगा। यूपीटीईटी० के दो पेपर होंगे।

- प्रथम प्रश्न पत्र (Paper-Ist) ऐसे व्यक्ति के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। (प्राथमिक स्तर)
- द्वितीय प्रश्न पत्र (Paper-IIInd) ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। (उच्च प्राथमिक स्तर)
- ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर (कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक) के लिए शिक्षक बनना चाहता है, को दोनों पेपरों (Paper-I and Paper-II) में शामिल होना होगा।

7.2 प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 के लिए):-

- परीक्षा की अवधि 2:30 घण्टे अर्थात् 150 मिनट होगी।
- संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र.सं.	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	बाल विकास एवं शिक्षण विधि	30 MCQs	30
2.	भाषा प्रथम (हिन्दी)	30 MCQs	30
3.	भाषा द्वितीय (अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक)	30 MCQs	30
4.	गणित	30 MCQs	30
5.	पर्यावरणीय अध्ययन	30 MCQs	30
कुल		150 MCQs	150 अंक

(iii) प्रश्नों की प्रकृति और स्तर

- बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न 6 से 11 आयु समूह के लिए प्रांसगिक अधिगम एवं अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केन्द्रित होंगे, तथा वे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझने, शिक्षार्थियों के साथ आपस में परस्पर अन्तर्क्रिया तथा अधिगम के एक अच्छे फैसिलिटेटर की गुणवत्ताओं और विशेषताओं पर केन्द्रित होंगे।
- भाषा- I में प्रश्न अनुदेशों के माध्यम से सम्बन्धित निपुणताओं पर केन्द्रित होंगे।
- भाषा- II, भाषा- I से अलग भाषा होगी। एक अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध भाषा विकल्पों में से किसी एक भाषा का चुनाव किया जायेगा और आवेदन पत्र में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा। भाषा- II में प्रश्न भाषा के तत्वों, सम्प्रेषण और बोध क्षमताओं पर केन्द्रित होंगे।
- गणित और पर्यावरणीय अध्ययन में प्रश्न इन विषयों की संकलनाओं, समस्या समाधान करने की क्षमताओं और शिक्षण-विधियों की समझ पर केन्द्रित होंगे। इन विषय क्षेत्रों में प्रश्न बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित उस विषय के पाठ्यक्रम के भिन्न-भिन्न खण्डों के विषय में समान रूप से वितरित की जायेगी।
- पेपर I के लिये परीक्षा में प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित होंगे, किन्तु उनका कठिनाई स्तर और संयोजन इंटरमीडिएट स्तर का होगा।

7.3 द्वितीय प्रश्न पत्र उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक के लिए)

- परीक्षा की अवधि 2:30 घण्टे अर्थात् कुल 150 मिनट होगी।

(ii) संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्रोसं	विषय सूची	प्रश्नों की सं।	अंक
1.	बाल विकास और शिक्षण विधि (अनिवार्य)	30MCQs	30
2.	भाषा I (हिन्दी) (अनिवार्य)	30 MCQs	30
3.	भाषा II (अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक) (अनिवार्य)	30 MCQs	30
4.	(क) गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित/विज्ञान (ख) सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन (ग) अन्य किसी शिक्षक के लिए (क) अथवा (ख) कोई भी	60 MCQs	60
	कुल	150 MCQs	150

(iii) प्रश्नों की प्रकृति और स्तर

- (1) बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न 11 से 14 आयु समूह के लिए प्रासंगिक अधिगम और अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केन्द्रित होंगे, तथा वे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझने, शिक्षार्थियों के साथ परस्पर अन्तर्क्रिया करने तथा अधिगम के एक अच्छे फैसिलिटेटर की गुणवत्ताओं और विशेषताओं पर केन्द्रित होंगे।
 - (2) भाषा I में प्रश्न, अनुदेशों के माध्यम से सम्बन्धित निपुणताओं पर केन्द्रित होंगे।
 - (3) भाषा II, भाषा I से अलग भाषा होगी। एक अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध भाषा विकल्पों में से किसी एक भाषा का चुनाव किया जायेगा और आवेदन पत्र में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा। भाषा II में प्रश्न भाषा के तत्वों, सम्प्रेषण और बोध क्षमताओं पर केन्द्रित होंगे।
 - (4) गणित और विज्ञान/सामाजिक अध्ययन में प्रश्न इन विषयों की संकल्पनाओं, समस्या समाधान करने की क्षमताओं और शिक्षण विधियों की समझ पर केन्द्रित होंगे। गणित और विज्ञान में 30–30 प्रश्न 01–01 अंक के होंगे। प्रश्न बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए निर्धारित उन विषयों के पाठ्यक्रम के भिन्न-भिन्न खण्डों के विषय में समान रूप से वितरित किये जायेंगे।
 - (5) प्रश्न पत्र II के लिए परीक्षा में प्रश्न कक्षा 6 से 8 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित होंगे किन्तु उनका कठिनाई स्तर व संयोजन इंटरमीडिएट स्तर का होगा।
- 7.4. उपर्युक्त संरचना के अनुसार कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम "परिशिष्ट-।" में दिये गये हैं।
8. प्रश्न पत्र की भाषा – प्रश्न पत्र का माध्यम "हिन्दी" अथवा "अंग्रेजी" होगा।
9. अहंक अंक –
- 9.1 UP-TET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात् 60 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
 - 9.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सौनिक स्वयं/विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहंक अंक 55 प्रतिशत अर्थात् पूर्णांक 150 में से 82 अंक होगा।

29/2/2021

- 9.3 UP-TET में अर्हता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति का भर्ती/रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदण्डों में से एक है।
- 9.4 अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ३००५००८० उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने, गलत रजिस्ट्रेशन संख्या भरने एवं प्रश्न पुस्तिका सीरीज/भाषा विकल्प/पार्ट-IV (विज्ञान/गणित या सामाजिक विज्ञान) के गोले को काला न करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय प्रश्न पुस्तिका में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुसरण करें।
- 9.5 अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ३००५००८० उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका सीरीज के कॉलम में काले किये गये गोले के आधार पर ही अभ्यर्थी के ३००५००८० उत्तर पत्रक का मूल्यांकन किया जायेगा। परीक्षा के उपरान्त प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गलत अंकन से सम्बन्धित प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय उपलब्ध करायी गयी प्रश्न पुस्तिका में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों को अनुसरण करें।

10. **अनुप्रयोज्यता (Applicability)** – उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवेदित शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) में अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत अथवा अंक के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे :-

10.1 प्राथमिक स्तर –

- (i) ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो।
- (ii) स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की गयी हो।
- (iii) जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो।
- (iv) ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तथा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

10.2 उच्च प्राथमिक स्तर –

- (i) ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो।
- (ii) स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संचालन हेतु मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की गयी हो।
- (iii) जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो।
- (iv) ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा किसी भी राष्ट्रीय बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो।

11. यूपीटीईटी प्रमाण-पत्र का वितरण, वैधता अवधि व अन्य-

- 11.1 नियुक्ति के लिए यूपीटीईटी अर्हक प्रमाण-पत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए इसके परिणाम की घोषणा की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक होगी।
- 11.2 ३००५० शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से वितरित किया जायेगा।
- 11.3 अर्ह अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रति/प्रवेश पत्र/इंटरनेट से प्राप्त परीक्षाफल की प्रति के साथ भरी गयी प्रविष्टियों से सम्बन्धित मूल अभिलेख यथा शैक्षिक अभिलेख, जाति प्रमाण-पत्र, विशेष आरक्षण पत्र, फोटो पहचान पत्र आदि सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के समुख प्रस्तुत करना होगा। सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, का उत्तरदायित्व होगा कि अर्ह अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों की जाँच करते हुए अर्हता मानक से संतुष्ट होने पर, अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।